आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :बस्ती,जनपद :बस्ती,तहसील :भानपुर

वाद संख्या :-00240/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201917140200240

एन०सी०एम०एल० बस्ती प्रा०लि० बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम कैथोलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती।

निर्णय

प्रस्तुत वाद एन0सी0एम0एल0 बस्ती प्रा0लि0 द्वारा सुनील चौरसिया प्रोजेक्ट मैनेजर निवासी/पता पंजीकृत कार्यालय इफ्को टावर–1 विंग बी0 पांचवी मंजिल प्लाट संख्या–3 सेक्टर नम्बर–29 गुड़गांव हरियाणा द्वारा अपनी भूमिधरी आराजी खाता संख्या–09 रक्बा 1.164हे0, के गाटा संख्या–3/0.150हे0, स्थित ग्राम कैथोलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती की अकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किये जाने का अनुरोध करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–80 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार भानपुर से करायी गयी। पत्रावली में सलग्न तहसीलदार भानपुर की आख्या दिनांक 21.02.2019 संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है तथा मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम कैथोलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के खाता संख्या–09 रक्बा 1.164हे0 के गाटा संख्या–3/0.150हे0, भूमि पर वादी द्वारा भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम(F.C.I) का साइलोज (Silos) (आधुनिक अनाज भण्डार) का निर्माण कराया जा रहा है तथा विवादित आराजी के चारो तरफ स्टील के पिलर पर बारबिड वायरों से चहरदीवारी का निर्माण कार्य कराया गया है, तथा कार्यालय मुख्य परिचालन प्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या–T/555/ 216/ NCML/ TCH दिनांक 28.06.2017 द्वारा इस आशय का फ्रेट टर्मिनल (Freight Terminal) बनाने हेतु अनुमति पत्र दिया गया है, जिससे आधुनिक अनाज भण्डार में मालवाहक ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। वादी द्वारा विवादित आराजियात का अकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) रूप में प्रयोग में किया जा रहा है। उक्त गाटों में कुक्कुट अथवा मत्स्य पालन बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। वादी द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में फोटो संलग्न किया गया है।

वादी द्वारा आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन घोषित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेजरी चालान संख्या–CG-76172 धनराशि रू0 45000/–(पैतालिस हजार रूपया मात्र) नियमानुसार जमा कोष में जमा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर उपलब्ध आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है। तहसीलदार की आख्यानुसार विवादित आराजी खाता संख्या–09 रक्बा 1.164हे0 के गाटा संख्या–3/0.150हे0, भूमि पर वादी द्वारा बतौर आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है, तथा शासकीय कार्य हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम(F.C.I) का साइलोज (Silos) (आधुनिक अनाज भण्डार) का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार राजस्व अभिलेख में आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम कैथालिया तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के खाता संख्या–09 रक्बा 1.164हे0 के गाटा संख्या–3/0.150हे0, भूमि को वादी एन0सी0एम0एल0 बस्ती प्रा0लि0 द्वारा सुनील चौरसिया पता/निवासी पंजीकृत कार्यालय इफ्को टावर–1 विंग बी0 पांचवी मंजिल प्लाट संख्या–3 सेक्टर नम्बर–29 गुड़गांव हरियाणा के नाम आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबन्धक भानपुर को प्रेषित की जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 03 अप्रैल,2019

03/04/19

(राजेश सिंह)
उप जिलाधिकारी,

सत्य प्रतिलिपि
माल अहलमद
न्यायालय उप जिलाधिकारी
तहसील-भानपुर
05-4-19

प्राप्ति का दिनांक 05-4-19
तैयारी का दिनांक 05-4-19
वापसी करने का दिनांक 05-4-19

प्रतिलिपिकर्ता – छायाप्रति/
तुलनाकर्ता –
05-4-19

सवाल नम्बर– 142
शीट– 01
फीस– 7–00
शब्द– 341

न्यायालय उप जिलाधिकारी भानपुर, जनपद–बस्ती।

नम्बर मुकदमा– T201917140200240

धारा– 80 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006

एन०सी० एम०एल० बस्ती प्रा०लि० बनाम सरकार

मौजा– कैथोलिया, तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब,

तहसील–भानपुर, जिला–बस्ती।

~~तारीख पेशी~~/ तारीख फैसलाः– 03-4-19

नकल– नकल आदेश दिनांक 03-4-19 की छायाप्रति पृष्ठांकित।

CANCILLED

CANCILLED

न्यायालय/कार्यालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट भानपुर (बस्ती)

2/200
[illegible]
05-4-19

P.T.O.